

2022/125

श्रीमान्जी

प्रार्थीया कमला देवी पत्नी
हरजीराम जाति जाट निवासी प्लॉट
नं० 137 बरकत नगर टोंक फाटक
लालकोठी जयपुर ने प्रार्थना पत्र, शपथ
पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के
शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ, मूल रसीद नहीं
होने बाबत शपथ पत्र एवं एफआईआर
पेश कर निवेदन किया है कि उसके
द्वारादिनांक 04.07.2018 को एक बन्द
वसीयत सिल्ल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में
रखवाया गया था, जिसे प्रार्थी बिना
खोलें वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थीया को गवाह श्री भूपेन्द्र
कुमार पुत्र दलीप कुमार एवं अवतार
सिंह पुत्र बख्तावर सिंह ने पहचाना है।
प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री पवन
कुमार शाक्य अधिवक्ता, श्रीगंगानगर, ने
की है। इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908
की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत
प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान
है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार
फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस
दिया जाना प्रस्तावित है।

प्र.अ.पंजीयन

[Handwritten signature]
13/4/22

[Handwritten mark]